

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या -1317/NG/2019/C&W/SPJ

श्री अजित कुमार, पुत्र श्री सिधेश्वर प्रसाद, टेक -II वेतनमान-5200-20200+2400, (लेवल-4), पदावनत पद पर टेक -III वेतनमान-5200-20200+1900, (लेवल-2), हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे का पत्र संख्या:- H/P.676/IV/IRRT/IDT/GM Orders/Vol. 1 Dated 26-04-2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या:- का/283/III(II)/अंतर मंडलीय/अंतर रेल स्था0/कै0वै0/17/भाग - III दिनांक 28/29.05.2019 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे का पत्र संख्या:- H/P.676/IV/C&W/Reliving of IRRT Dated 04-12-2019 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 06.12.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को कोचिंग डिपो अधिकारी/दरभंगा, के अधीन टेक -III वेतनमान-5200-20200+1900, (लेवल-2), के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 06.12.19 (दिनांक 10.12.2019 से 11.12.2019 तक कार्यालय में अनुपस्थित) से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिकारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त वमयाई(समाडि)/समस्तीपुर द्वारा आदेशित है।

श्री अजित कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

श्री अजित कुमार



(चन्द्र किशोर)
सकाधि - II
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं0- का/283/III(II)/अंतर मंडलीय/अंतर रेल स्था0/कै0वै0/17/भाग - III दिनांक 17.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे - कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. वमयाई(समाडि)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र/समस्तीपुर।
4. कोचिंग डिपो अधिकारी/दरभंगा -उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/यांत्रिक संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/विविध बिल, कार्यालय में।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रक्रेष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप कोचिंग डिपो अधिकारी/दरभंगा को रिपोर्ट करें।
10. अभिलेख हेतु।

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर